

11.11.25

अपर लोक आभियोजक उपस्थित
मुआयिमान शहीम व शेनकन गुरु दामोदर व की ल
मुआयिमान न हाजरी माली की पहना चर को
किया जो केवल आज के लिए खींचकर किया
जाला है। गवाह ^{परमाश्रित} की आली तानील काम तानील
लोही गवाह शमाकेशन की आली तानील जयि ईमल
सूचना की विचार के साथ प्राप्त हुई वाक्य ईमल
सूचना के गवाह उपस्थित नहीं मिला है ऐसी स्थिति
में गवाह शमाकेशन को जयि गिरफ्तारी वारंट से
तलब किया जावे। गवाह मनीषा ईमल चारठा की
आली तानील अदम तानील लोही। गवाहाम

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-01
दि. 11.11.25 (अजमेर)

CNR NUMBER

Number of Case

57-37/2020

Year

(120012)

Versus

रहीम खान वगैर

Date

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of compliance
of the Order

मनीष चारण का पुनर्देशानुसार आदेश
 गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जावे
 गया है परमाश्रम का पुनर्देशानुसार
 आदेश गिरफ्तारी वारंट से तलब
 किया जावे। तामील पर लाल
 श्याही से नोट अंकित किया
 जावे कि पुनः Targetted
 है आतंकवादी रूप से तामील
 कवार्ड जावे। तामील आदेशिका
 दिनांक 07.10.25 की अनुपालना
 में जारी की जावे। पृ. 1 व 2
 वाले साक्ष्य सामूहिक है
 दिनांक 24.11.25 कार्यवाही
 दिनांक 24.11.25

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-01
 किशनगढ़ (अजमेर)